भूमिका

प्रस्तुत शोध कार्य **"अमरावती क्षेत्र में लोक-अदालत और हाशियें के समाज की समस्याएं"** है। इस शोध कार्य को करने हेतु विशिष्ट रूचि का कारण भारतीय न्याय व्यवस्था की जो दयनीय अवस्था है वह आज के समाज के लिए अत्याधिक अन्यायकारक प्रतीत हो रही है। भारत की न्यायप्रणाली यह अंग्रेजी शासन की रची हुई है। भारत के विद्वान, दार्शनिक तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित न्याय व्यवस्था की कल्पना अत्याधिक प्रासंगिक बनी हुई है। 'हिंद स्वराज्य' पुस्तक में गांधीजी इस न्याय व्यवस्था का निर्माण क्यों ? कैसे ? के संदर्भ में बताते हैं तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे देश की न्यायव्यवस्था में आवश्यक सुधार की जरुरत है, इसलिए गरीब लोगों को न्याय मिलने हेतु शोधार्थियों, वकीलों आदि लोगों को लोक-अदालत के क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहिए।

मैंने एम. फिल. में प्रवेश लेने से पहले एल. एल. बी. (L.L.B.) की शिक्षा ग्रहण की है और मुझे लोक अदालत का अध्ययन पूर्व अनुभव रहा है इसी कारण इस शोध विषय में रूचि निर्माण हुई है।

इस शोध कार्य करने हेतु असहभागी निरिक्षण पद्धति का प्रयोग किया है तथा साथ ही साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि में गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

इस शोध विषय को पांच अध्यायों में विभाजित किया हैं, प्रथम अध्याय 'लोक अदालत और हाशियें के समाज का परिचय' में हाशियें के समाज में समस्याओं की विविधता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसमें भूमिका, शोध क्षेत्र का परिचय, साहित्य पुनरावलोकन, शोध के उद्देश्य, शोध प्रविधि इत्यादि का साहित्य अध्ययन कर विश्लेषण किया गया है।

द्वितीय अध्याय 'न्यायतंत्र में लोक सहभागिता की भूमिका' में भारतीय न्याय व्यवस्था को दर्शाया गया है। लोक अदालत का स्वरुप विश्लेषण, महत्व का वर्णन किया है। हाशियें के समाज की लोक अदालत में सहभागिता का वर्णन किया है। न्याय तंत्र के लोक सहभागिता की भूमिका में धार्मिक, सामजिक, मनोवैज्ञानिक न्याय तत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। अतः वर्तमान न्याय प्रणाली का यथार्थ प्रस्तुत किया है।

तृतीय अध्याय 'हाशियें के समाज की समस्याएं' में हाशियें समाज की राजनैतिक, गरीबी, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिव्यवस्था और शैक्षिक एवं अनुपयुक्त शिक्षा की समस्याओं को दर्शाने का प्रयास किया गया हैं।

चतुर्थ अध्याय 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की भूमिका' में अदालतों की वर्तमान व्यवस्था का परिचय जिसमें सामाजिक न्याय के तत्व को इस अधिनियम के द्वारा दर्शाया गया है।

पंचम अध्याय में उपसंहार को दिया गया है और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूचि एवं परिशिष्ट में लोक अदालतों से संबंधित विश्लेषणों को प्रस्तुत किया हैं।